न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ. (राज.)

पीठीसीन अधिकारी

डॉ. इन्द्रजीत यादव (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
10/2022	2022/49	08.04.2022	28.02.2023

श्री शान्तिलाल पुत्र नन्दा जी जाति आंजना उम्र 52 वर्ष निवासी बसाड़ तहसील एवं जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:- अपीलार्थी

-: बनाम :-

1. श्री दुल्हेसिंह पुत्र श्री गणपतलाल आंजना उम्र 33 वर्ष निवासी बसाड़ तहसील एवं जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. श्री गोपाललाल पुत्र श्री गणपतलाल आंजना उम्र 33 वर्ष निवासी बसाड़ तहसील एवं जिला प्रतापगढ़ (राज.)
3. श्री सरकार जरिये तहसीलदार प्रतापगढ जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:- रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण नम्बर 2755 दिनांक 03.11.2020

उपस्थिति :-

1. श्री गोपाललाल तम्बोली (अधिवक्ता अपीलार्थी)
2. श्री प्रवीण कुमार बोरदिया (अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2)
3. श्री प्रवीण कुमार जैन (पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 3)

-: आदेश :- दिनांक :- 28.02.2023

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2755 मौजा बसाड़ पटवार हल्का बसाड़ तहसील प्रतापगढ़ की ऑन लाईन प्रविष्टि दिनांक 04.09.2020 स्वीकृत दिनांक 08.10.2020 के संबंध में प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम बसाड़ की वर्तमान खाता संख्या 243 में दर्ज आराजीयात संख्या 1473, 2021, 2022, 2022/2914, 2023, 2023/2915, 2024, 2025, 2026/2913, 2038, 2047, 2159, 2230 कुल किता 13 रकबा 5.90 हैक्टर भूमियां अपीलार्थी के 1/2 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के 1/4 -1/4 हक हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी की भूमियां थी।

उपरोक्त आराजीयात में से आराजी संख्या 2159 रकबा 2.65 हैक्टर किस्म काली- ॥ द्वितीय में अपीलार्थी का 1/2 हक हिस्सा में से 1/3 हक हिस्सा अपीलार्थी ने जरिये पंजीकृत हक त्याग विलेख दिनांक 20.08.2020 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या-1 (श्री दुल्हेसिंह आंजना) क पक्ष में हक त्याग किया गया था जिसके आधार पर निष्पादित विवादित नामान्तरकरण संख्या 2755 दिनांक 04.09.2020 अन्तर्गत अपीलार्थी का 1/6 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या-1 का 7/12 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलार्थी के नाम दर्ज हक हिस्से में से बाद हक त्याग हक हिस्सा 1/3 के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या-1 के नाम 5/12 हक हिस्सा ही दर्ज होना चाहिये था किन्तु राजस्व कार्मिकों द्वारा सहवन से रेस्पोडेन्ट संख्या-1 को किये गये

जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

हक त्याग विलेख के विपरीत 7/12 हक हिस्सा दर्ज कर दिया गया जिससे विवादित नामान्तरकरण को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी द्वारा निष्पादित हक त्याग विलेख अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जाना अपेक्षित है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर विवादित नामान्तरकरण संख्या 2755 को निरस्त फरमा अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के पक्ष में संशोधित नामान्तरकरण का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामील रिपोर्ट रेस्पोडेन्टगण 1 व 2 कि ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण बोरदिया द्वारा वकालत नामा प्रस्तुत करते हुए कई अवसर प्राप्त करते हुए भी जवाब अपील प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये जाने से रेस्पोडेन्ट का जवाब अवसर दिनांक 23.01.2023 को बंद किया गया तथा पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम हेतु नियत की गई थी किन्तु अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या– 1 व 2 द्वारा जवाब अपील दिनांक 15.02.2023 को प्रस्तुत किया गया जो शामील पत्रावली है।

प्रकरण में बहस अन्तिम दिनांक 20.02.2023 को सूनी गई दौरान बहस वकील अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के पक्ष में किये गये हक त्याग अनुसार नामान्तरकरण निष्पादित नहीं होने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। जिसे स्वीकार फरमाई जावे।

इसी प्रकृम में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के लगातार अनुपस्थित रहने से रेस्पोडेन्ट संख्या–1 व 2 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत जवाब आधार पर प्रकरण मेरिट पर निर्णय हेतु रखा गया।

बहस अपीलार्थी पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों क्रमशः प्रस्तुत अपील मेमों दिनांक 12.03.2022 एवं विवादित नामान्तरकरण संख्या 2755 दिनांक 04.09.2020 एवं नकल जमाबंदी खाता संख्या 243 संवत 2074–2077 जवाब रेस्पोडेन्टगण दिनांक 15.02.2023 तथा पत्रावली में उपलब्ध विविध दस्तावेजों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व ग्राम बसाड़ की खाता संख्या 243 में दर्ज आराजीयात कुल किता 13 रकबा 5.90 हैक्टर भूमियां अपीलार्थी का 1/2 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का 1/4–1/4 हक हिस्सा दर्ज रिकार्ड रहा है। उक्त आराजीयात में से आराजी संख्या 2159 रकबा 2.65 हैक्टर में भी अपीलार्थी का 1/2 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का 1/4–1/4 हक हिस्सा बनता है। जिससे अपीलार्थी के द्वारा आराजी संख्या 2159 रकबा 2.65 हैक्टर भूमि के 1/2 हक हिस्से में से 1/3 हक हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में हक त्याग किये जाने की स्थिति में अपीलार्थी का 2/6 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या–1 का 5/12 हक हिस्सा ही दर्ज रिकार्ड होना चाहीये जिसके विपरीत 7/12 हक हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के नाम गलत दर्ज किया जाना दर्शित रिकार्ड पाया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर विवादित नामान्तरकरण संख्या 2755 दिनांक 04.09.2020 को निरस्त किया जाता है और तहसीलदार प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग विलेख दिनांक 20.08.2020 के अनुसार बाद अससरेनों कार्यवाही नवीनतम नामान्तरकरण संपादित करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2023 को सरेइजलास सुनाया जाकर लिपीबद्व किया गया है।

जिला कलक्टर प्रतापगढ़ / जिला कलक्टर प्रतापगढ़

(डॉ. इन्द्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ